उप खण्ड अधिकारी सीकर

विमला देवी बनाम मंगल चन्द

T.L. मु० नं० 297/2014

24-1-20 पत्रावली पेश हुयी। वकील पक्षकार उपस्थित प्रतिवादीगण ने जवाब अन्तिम अवसर के बावजूद जवाब पेश नहीं है। न्यायहित में 2000 रूपये कोस्ट अदा करने पर जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 6-2-20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी सीकर

6-2-20 पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थीगण के वकील ने जवाब पेश नहीं किया है। काफी अवसर दिया गया है अतः जवाब बन्द किया जाता है। अप्रार्थी अनुपस्थित है। वकील सुनी गयी है। वास्ते आदेश दिनांक 10-2-20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी सीकर

10-2-20 पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश हुयी है। वकील पक्षकार उपस्थित है। प्रकरण इस प्रकार से प्रार्थीगण ने आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा का मूल वाद के साथ पेश किया है। जिसमें ग्राम डाबला नोरा प०स० रघुनाथगढ़ सीकर की भूमि ख० 176 रकबा 0.51000 हैक्टेयर के पुराने ख०नं० 33 रकबा 2 बीघा। जिसके 1/2 भाग के प्रार्थीगण तथा 1/2 भाग के अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार है। जिस पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमि विरासत से मिली हुयी है। विरासत अर्जुनलाल पुत्र धूनीनाथ मौड़ जाय-चा सन्तान नहीं था उसने बहिन के लड़के सुरजानाथ गोद लिया था जिसकी मृत्यु के बाद एक पौत्र प्रार्थीया सं० 1 सुरजानाथ के जायन्ता बेटे की

जाता है इस प्रकार प्रार्थीगण सुरजा नाथ के साथ
रहकर विवादित कृषि भूमि पर कब्जा काश्त करते
आ रहे हैं। अर्जुन नाथ की मृत्यु का विरासत का
नामान्तरकरण सं० 71 दिनांक 8-2-69 को अप्रार्थीगण
के पिता श्यौभगवान के नाम बिना कोई जांच किए
गलत भरा गया था जिसके कारण श्यौभगवान
अकेले का ही नाम राजस्व रिकॉर्ड में हो गया है।
उक्त गलत नामान्तरकरण के आधार पर नामा०सं०
सं० 2245 दिनांक 25-2-2015 विरासत के आधार
केवल अप्रार्थीगण के नाम भरा गया है। जो गलत है
जिससे प्रार्थीगण को बेदखल करने के उद्देश्य से
भूमियों को अन्यत्र हस्तान्तरण एवं प्रभावित करने
में लग हुए हैं। प्रार्थीगण की आधार पर
अतः प्रार्थी के हिस्से की 1/2 भाग की भूमि को
विक्रय रहन या हस्तान्तरण नहीं करने हेतु पाबन्द
किया जावे।

अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलब किया गया।
अप्रार्थी सं० 1 ता 7 जरिये वकील उपस्थित हुये।
अप्रार्थी 8,9,10 की तलबी होने के बावजूद उपस्थित
नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
अमल में लायी गयी है। अप्रार्थी सं० 1 ता 7
को जवाब हेतु काफी अवसर दिया गया है। जवाब
पेश नहीं किया गया है। जवाब बन्द किया गया है।
अप्रार्थी वकील ने बहस के दौरान भी अनुपस्थित
रहने पर प्रार्थी वकील एक पक्षीय बहस सुनी गयी है।
पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर
गौर किया गया है। सं० 2033 से 2036 की जमाबंदी
में खातेदार श्यौभगवान पुत्र सुरज नाथ जाति जोगी
दर्ज है। इस प्रकार 2025 से 2028 की जमाबंदी में
भी श्यौभगवान खातेदार दर्ज है। संवत 2013 से
2016 व 2017 से 2020 व 2021 से 2024 की
जमाबंदी में खातेदार अर्जुन नाथ पुत्र चुन्नीनाथ
जाति जोगी दर्ज है। नामान्तरकरण सं० 71 में अर्जुननाथ का
पुत्र चुन्नीनाथ फौत होना पाया गया है जिसका उत्तराधिकारी
पोता श्यौभगवान पुत्र सुरजा नाथ है। अतः नामान्तरकरण
भी श्यौभगवान पुत्र सुरजा नाथ के नाम स्वीकृत
किया जाता है। (अंकित है)।

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सीकर
बिमला बनाम मंगलचन्द
टी० आई० 27/15

प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण का कथन है
कि अर्जुन नाथ दत्तक पुत्र सुरजानाथ था।
सुरजानाथ के दो पुत्र श्योभगवान व कजोड़
थे। प्रार्थीगण कजोड़ के वारिसान है व 1/2
खातेदारी उत्तराधिकार प्राप्त करने के अधिकारी
है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में अर्जुन नाथ
का विरासतन नामान्तकरण केवल श्योभगवान
के नाम तथा श्योभगवान की मृत्यु पर
नामान्तकरण विरासत के आधार पर
केवल अप्रार्थीगण के पक्ष में भरा गया है
अप्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र
को कोई जवाब पेश नही किया गया। उपलब्ध
दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया।
कि नकल जिलान्त सेडफाल की फोटो कॉपी
पेश की ख० न० 173 रकबा 0.51 हैक्टर
व गत ख० न० 33 रकबा 2 बीघा विवादित
विवादित आराजी अर्जुन नाथ पुत्र चूड़ी नाथ
की खातेदारी भूमि थी अर्जुन नाथ का विरासत
नामान्तरण सीधे ही पौत्र श्योभगवान
के नाम स्वीकृत किया गया है प्रार्थीगण
द्वारा लिया गया तथ्य अर्जुन नाथ के दत्तक
पुत्र सुरजानाथ था सुरजानाथ के दो पुत्र
श्योभगवान व मंगल चंद है। जबकि विरासत
नामान्तरण केवल श्योभगवान के नाम
ही स्वीकृत किया गया जो गलत है
वादग्रस्त सम्पदा पैतृक है उक्त बिन्दु
पत्रावली अवलोकनोपरान्त प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थीगण
के पक्ष में है।
सुविधा का संतुलन - प्रार्थीगण द्वारा यह
कथन किया गया की अप्रार्थीगण गलत
राजस्व रिकार्ड के आधार पर विवादित
आराजी को अन्यत्र हस्तान्तरण व प्रभारित

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

करने मे लगे हुए है। अत: यदि अस्थायी निषेधाज्ञा
नही की गयी तो उक्त आराजी के आगे विक्रय व
से अधिक असुविधा प्रार्थीगण की होगी अत: सुवि
का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है।
अपूरणीय क्षति - प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के प
मे है। अत: यदि विवादित भूमि के संबंध मे स्थगन
नही किया गया तो अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण की हो
उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी
स्वीकार योग्य है। अत: ग्राम डांव पनोरा की भूमि
ख०नं० 176 रकबा 0.5 हैक्टर के वर्तमान राजस्व
रिकार्ड यथास्थिति तो मूल वाद के निर्णय होने तक
बनाये रखी जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो। तजवीज तकमील दाखिल दफ्तर
किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी- सीकर